"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2005—कार्तिक 9, शक 1927

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

क्रमांक 56/04/निर्वा. संचा./2005/1578.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त आदेश क्रमांक 76/छ.ग.वि.स./2003/3408 दिनांक 7 अक्टूबर 2005 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

बी. एल. अग्रवाल,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 7 अक्टूबर, 2005—15 आश्विन 1927 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग.-वि.स./2003.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी श्री आर. पी. शर्मा, 60/क, रूवाबांधा सेक्टर, भिलाई छत्तीसगढ़ जिन्होंने छत्तीसगढ़ विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 के लिए 77-भिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था, लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं.

और यत:, उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है और आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग इसके द्वारा श्री आर. पी. शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(एस. के. कौरा),
सचिव.
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated the 7th October, 2005—15 Asvina, 1927 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-LA/2003.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri R. P. Sharma R/o Ruabandha Sector, Bhilai Chhattisgarh, a contesting candidate at the General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003 held from 77-Bhilai Assembly Constituency has failed to lodge any account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder.

And, Whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri R. P. Sharma to be disqualified for being chosen as and for being a memebr of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of his order.

By Order,

Sd/-
(S. K. KAURA)
Secretary.
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.